

पत्र संख्या—**HPFD-F05/285/2023-FCA**
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अतिरिक्त प्रो मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हिं०प्र०।

प्रेषित: क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड, लौगबुड़,
शिमला, हिमाचल प्रदेश—171001

दिनांक शिमला—1

विषय: **Diversion of 0.5214 ha of forest land in favour of Jal Shakti Vibhag for Source Augmentation & Improvement of LWSS Kathwari and its adjoining villages in GP Bie, Bari Gumanoo, Sadhyana, Sehli, Sai, Kashan, Sadoh and Tarnoh, Tehsil Sadar, Distt. Mandi, within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Water/151171/2022).-reg**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र सं० FC/HPB/08/110/2022 दिनांक 13/09/2023 के संदर्भ में जिसके माध्यम से विषयाधिन प्रस्ताव को सैन्दूतिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्दूतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :—

‘ शर्त	उत्तर
A. वे शर्तेंजिनकाराज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:- प० प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की जमा राशि जमा करवाई जाए ।	प्रयोत्का ऐजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करावा ली है।
प०प० राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 के अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी। बचन बद्धता संलग्न हैं।
प०प०प० WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30. 10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01. 2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.5214 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30. 10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोत्का ऐजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.5214 हेक्टेयर की नैट वैल्यु जमा करवाई जाए ।
प०अ० प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन	प्रयोत्का ऐजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण वन एवं वन जलवाय परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल

	<p>माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाई जाए।</p>	<p>ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा कर ली गई है।</p>
अप०	<p>पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाए।</p>	<p>पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की गई।</p>
अप०	<p>प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में विकार नहि किया जाएगा।</p>	<p>प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, वन एंन पी वी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑन लाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए गए हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए गए हैं।</p>
अप०	<p>प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि सभांग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि “इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है” प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए अनिवार्य होगा।</p>	<p>इस आशय का एक वचन पत्र कि “इस मंडल के पास Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है” प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।</p>
अप०	<p>FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।</p>	<p>FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र किया जाएगा।</p>
B.	<p>वे शर्तें जिनका राज्य वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फिल्ड में कटाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अडरेटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज—II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है।</p>	<p>वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदलि नहीं जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
प०	<p>वन भूमि के अधिक परिस्थिति बदलि नहीं जाएगी।</p>	
प०	<p>काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।</p>	<p>काटे जाने वाले वृक्षों/पौधों की सख्तां किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षोंकी कटाई के दोरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।</p>
प०	<p>राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी०४० योजना के अनुसार 47.94 है० अर्थात् 1.0428 ha Compartment NO. 53E/2/NW, DPF Chab hun, Majwar Block, Mandi Forest Range, Mandi, Forest Division, Distt. Mandi, पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए</p>	<p>राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार 1.0428 ha Compartment NO. 53E/2/NW, DPF Chab hun, Majwar Block, Mandi Forest Range, Mandi, Forest Division, Distt. Mandi है० प्रस्तावित वन भूमि पर पौधों के पौधोरोपण का कार्य किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया कर दिया है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा। यथा संभव हो</p>

	जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा।	स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किए जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monocultural नहीं होगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
पअण	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपुरक पौधोरोपण के रथलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन मण्डल अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रतिपुरक पौधोरोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे। इस सम्बन्ध में वन मण्डल अधिकारी ने बचनबद्धता दी है।
अण	नोडल अधिकारी द्वारा (State CAMPA) सुनिश्चित करे कि प्रतिपूर्ति पौधोरोपण और अतिरिक्त पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायें।	नोडल अधिकारी द्वारा (State CAMPA) सुनिश्चित किया गया है कि प्रतिपूर्ति पौधोरोपण और अतिरिक्त पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करवायें।
अपण	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपुरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की केंद्रीय फाईल को अपलोड की जाएगी।	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता अभिकरण को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन पोर्टल में प्रतिपुरक वन रोपण के लिए स्वीकृत वन क्षेत्र की केंद्रीय फाईल को अपलोड की जाएगी। इस सर्वेक्षण की बचनबद्धता संलग्न है।
अपपण	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गये उदेश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
अपपपण	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राशी जमा करना सुनिश्चित करेंगे।	माननिय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों अनुसार, जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशी को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी राशी जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
पगण	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा।	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता ऐजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गण	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्ति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गपण	केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले—आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा।	केंद्रिय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले—आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गपपण	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गपपपण	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गपअण	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।

गअण	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्य रत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है।	प्रयोत्का एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्य रत स्टाफ को अधिमानत वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गअपण	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोत्का एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समुह के संरक्षण तथा परिसंरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गअपपण	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पिछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फिट उंचे सीमेंट के खंबों द्वारा चिह्नित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गअपपपण	पाइप लाईन जमीन के 1.5 मीटर नीचे बिछाई जाएगी और पाइप लाईन बिछाकर जमीन को समलत किया जाएगा।	पाइप लाईन जमीन के 1.5 मीटर नीचे बिछाई जाएगी और पाइप लाईन बिछाकर जमीन को समलत किया जाएगा।
गपण	यदि आवश्यक हो तो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	यदि आवश्यक होतो प्रयोत्का एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
गगण	कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।	कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण ने बचनबद्धता दी है।
गगपण	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत की अवधि प्रयोत्का एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
गगपपण	अन्य कोई भी ‘शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
गगपपपण	इनमें से किसी भी ‘शर्त का उल्लंघन वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।
गगपअण	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुच्छेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण इस शर्त से सहमत है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल ऑफिसर एवं अतिरिक्त मुख्य
अरण्यपाल (एफओसीएओ)हिंदूप्रगति